International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जीएसटी एवं वैट व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

Rajat Pratap Singh

Research scholar

I.P. College Bulandshahr.

Prof. Amit Sharma convener

Research Advisory Committee

C.C.S University Meerut

सार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक व्यापक कर है जिसमें अधिकांश अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं जो पहले केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए थे। जीएसटी को जुलाई 2017 में कर संरचना को सरल बनाने, करों के व्यापक प्रभाव को कम करने और कर आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से पेश किया गया था।

जीएसटी एक गंतव्य–आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर उपभोग के बिंदु पर लगाया जाता है, भले ही वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन कहीं भी किया गया हो। यह पिछली प्रणाली के विपरीत है, जहां कर मूल स्थान पर लगाए जाते थे।

जीएसटी पांच अलग–अलग दरों पर लगाया जाता हैरू 0ः, 5ः, 12ः, 18ः और 28ः। कुछ वस्तुओं और सेवाओं, जैसे शराब और पेट्रोलियम उत्पादों, पर उच्च दर से कर लगाया जाता है।

जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो एक केंद्रीकृत आईटी प्रणाली है जो जीएसटी के पंजीकरण, फाइलिंग और भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को एकल कर से बदल दिया है, जिससे व्यवसायों के लिए कर कानूनों का पालन करना आसान हो गया है।

मुख्य शब्द

जीएसटी, वैट, व्यवस्था

भूमिका

करों का व्यापक प्रभाव उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी इनपुट पर भुगतान किया गया कर आउटपुट की लागत में जोड़ा जाता है, जिस पर फिर से कर लगाया जाता है। जीएसटी इस व्यापक प्रभाव को खत्म कर देता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं।

जीएसटी ने अधिक व्यवसायों को कर के दायरे में ला दिया है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ गया है।

बेहतर अनुपालनरू ऑनलाइन जीएसटी प्रणाली ने व्यवसायों के लिए अपना रिटर्न दाखिल करना और अपने करों का भुगतान करना आसान बना दिया है।

जीएसटी प्रणाली पिछली कर प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शी है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए यह समझना आसान हो जाता है कि कर कैसे लगाए जा रहे हैं।

जीएसटी का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा है, कुछ व्यवसायों को नए कर कानूनों का पालन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

जीएसटी प्रणाली तकनीकी खामियों से ग्रस्त है, जिसके कारण रिटर्न दाखिल करने और करों का भुगतान करने में देरी हो रही है।

जीएसटी राजस्व के बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कई विवाद रहे हैं।

जीएसटी का कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया है, उनका तर्क है कि इससे छोटे व्यवसायों को नुकसान होगा।

कुल मिलाकर, जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम रहा है। इसने कर संरचना को सरल बनाया है, करों के व्यापक प्रभाव को कम किया है और कर आधार को बढ़ाया है। हालाँकि, अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे कार्यान्वयन चुनौतियाँ और तकनीकी गड़बड़ियाँ।

जीएसटी भारत की कर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसमें दक्षता, राजस्व और पारदर्शिता बढ़ाने और भारत की कर प्रणाली को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की क्षमता है। हालाँकि, जीएसटी से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ भी हैं और जीएसटी व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

जीएसटी का कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया रही है, लेकिन यह भारत की कर प्रणाली के लिए एक बड़ा कदम भी है। जीएसटी में कर प्रणाली को सरल बनाने, अनुपालन लागत को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालाँकि, अभी भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि जीएसटीएन पूरी तरह कार्यात्मक है और व्यवसाय नई कर प्रणाली का अनुपालन करने में सक्षम हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

मूल्य वर्धित कर (वैट) एक उपभोग कर है जो उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है। कर का भुगतान अंततः अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे प्रत्येक चरण में व्यवसायों से एकत्र किया जाता है।

वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसका अर्थ है कि यह व्यवसायों से एकत्र किया जाता है और उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थानांतरित किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों को आम तौर पर आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक कुशल माना जाता है, क्योंकि वे आर्थिक गतिविधि को विकृत करने की कम संभावना रखते हैं।

जीएसटी एवं वैट व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

वैट प्रणाली उत्पादन या वितरण के किसी दिए गए चरण में किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य और इसे उत्पादित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट के मूल्य के बीच अंतर पर कर लगाकर काम करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निर्माता 100 डॉलर में कच्चा माल खरीदता है और फिर तैयार उत्पाद 200 डॉलर में बेचता है, तो वैट की गणना विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जोड़े गए 100 डॉलर के मूल्य पर की जाएगी।

वैट आमतौर पर व्यवसायों द्वारा बिक्री के स्थान पर एकत्र किया जाता है। जब कोई व्यवसाय कोई उत्पाद या सेवा बेचता है, तो वह ग्राहक से वैट एकत्र करता है और फिर इसे सरकार को भेजता है। व्यवसाय तब वैट के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं जो उन्होंने अपने उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर भुगतान किया है।

वैट एकत्र करने के लिए एक अपेक्षाकृत कुशल कर है। व्यवसाय आसानी से कर की गणना और भुगतान कर सकते हैं, और बिक्री कर जैसे अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की तुलना में

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

चोरी की गुंजाइश कम होती है। वैट एक प्रतिगामी कर है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च आय वालों की तुलना में कम आय वालों से आय का एक बड़ा हिस्सा लेता है। हालाँकि, सामाजिक कल्याण जैसे प्रगतिशील कार्यक्रमों को निधि देने के लिए वैट से प्राप्त राजस्व का उपयोग करके इसकी भरपाई की जा सकती है। वैट एक तटस्थ कर है, जिसका अर्थ है कि यह आर्थिक गतिविधि को विकृत नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर वस्तुओं या सेवाओं की अंतिम कीमत के बजाय वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है। वैट प्रशासन के लिए अपेक्षाकृत सरल कर है। व्यवसाय आसानी से कर की गणना और भुगतान कर सकते हैं, और अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की तुलना में चोरी की गुंजाइश कम होती है।

वैट प्रणाली एक जटिल कर है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। किसी विशेष देश के लिए वैट प्रणाली उपयुक्त है या नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें देश की आर्थिक संरचना, इसकी कर नीति लक्ष्य और इसकी प्रशासनिक क्षमता शामिल है।

वैट के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह एक व्यापक–आधारित कर है जो सरकार के लिए बहुत अधिक राजस्व उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, यह एकत्र करने के लिए अपेक्षाकृत कुशल कर है। तीसरा, यह एक तटस्थ कर है जो आर्थिक गतिविधि को विकृत नहीं करता है। चौथा, इसका उपयोग निर्यात को प्रोत्साहित करने और आयात को हतोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।

वैट के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले, यह प्रतिगामी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च आय वाले करदाताओं की तुलना में कम आय वाले करदाताओं पर अधिक बोझ डालता है। दूसरा, इसे प्रशासित करना जटिल हो सकता है, विशेषकर बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में। तीसरा, यह धोखाधड़ी और चोरी का विषय हो सकता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वैट एक जटिल कर प्रणाली है जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। वैट प्रणाली को अपनाना है या नहीं, यह निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण है। वैट प्रणाली एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग राजस्व बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रभावी और निष्पक्ष है, सिस्टम को सावधानीपूर्वक डिजाइन करना महत्वपूर्ण है।

वैट प्रणाली के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले, यह प्रतिगामी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह कम आय वाले करदाताओं को असंगत रूप से प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम आय वाले करदाता उच्च आय वाले करदाताओं की तुलना में अपनी आय का अधिक हिस्सा उपभोग पर खर्च करते हैं।

दूसरा, बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले देश में वैट प्रणाली लागू करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में व्यवसाय वैट का भुगतान करने के लिए पंजीकृत नहीं हो सकते हैं, इसलिए सरकार उनसे कर एकत्र करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

वैट प्रणाली के दो मुख्य प्रकार हैं, क्रेडिट विधि और घटाव विधि। क्रेडिट पद्धति के तहत, व्यवसाय इनपुट पर भुगतान किए गए वैट के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे केवल उत्पाद में जोड़े गए मूल्य पर वैट का भुगतान करते हैं। घटाव विधि के तहत, व्यवसाय इनपुट पर भुगतान किए गए वैट को आउटपुट पर एकत्र किए गए वैट से घटा देते हैं। इसका मतलब यह है कि वे केवल उत्पाद में जोड़े गए मूल्य पर वैट का भुगतान करते हैं, खरीदे गए इनपुट के मूल्य को घटाकर।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वैट प्रणाली एक उपभोग कर है जो उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है। कर का भुगतान अंततः अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे प्रत्येक चरण में व्यवसायों से एकत्र किया जाता है। वैट प्रणाली के फायदे और नुकसान दोनों हैं। यह कर एकत्र करने का एक अपेक्षाकृत कुशल तरीका है, लेकिन बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले देश में इसे लागू करना प्रतिगामी और कठिन हो सकता है। किसी देश में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट प्रकार की वैट प्रणाली उस देश की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

कर प्रणाली किसी भी विकासशील राष्ट्र की रीढ़ होती है। कर संग्रह के माध्यम से उत्पन्न राजस्व उस देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में भी कर संग्रह से प्राप्त राजस्व इसकी सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत के संविधान, राष्ट्र चार्टर में कर संग्रह और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। भारत में प्रचलित कर प्रणाली का पालन संविधान की उन धाराओं से होता है।

भारत में कर निर्णय केंद्र और राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर कर रही हैं, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार अपनी इच्छानुसार कोई भी कर लगा सकती है। सरकार द्वारा लगाए गए सभी कर भारतीय संविधान के अनुसार पारित कानून होने चाहिए।

अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों से वसूले जाते हैं। यह कर आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के बीच बुनियादी अंतर भी लगाने के इसी आधार के कारण है। प्रत्यक्ष कर विभिन्न निर्धारितियों पर लगाए जाते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष कर उत्पादों पर लगाए जाते हैं और एक मध्यस्थ, उत्पाद बेचने वाले व्यक्ति द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इन करों को सेवा या उत्पाद की कीमत में जोड़कर लगाया जाता है जिससे उत्पाद की लागत बढ़ जाती है। अप्रत्यक्ष करों के प्रकार हैं बिक्री कर, सेवा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

कर, वैट, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और स्थानांतरण कर आदि...

बिक्री कर वह कर है जो किसी उत्पाद की बिक्री पर लगाया जाता है। यह उत्पाद या तो भारत में उत्पादित किया जा सकता है या आयातित किया जा सकता है, अंतिम खुदरा विक्रेताओं पर कर लगाया जाता है। बिक्री कर केंद्रीय और राज्य दोनों विधानों के तहत लगाया जाता है और यह राज्य सरकारों के लिए कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। मूल रूप से, देश के सभी राज्य अपने–अपने बिक्री कर अधिनियम का पालन करते हैं और अलग–अलग प्रतिशत वसूलते हैं। सेवा कर भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जोड़ा जाने वाला कर है। यह उन कंपनियों पर लागू होता है जो सेवाएं प्रदान करती हैं और कंपनी के अनुसार अंतराल की अवधि पर एकत्र की जाती हैं। यदि प्रतिष्ठान एक व्यक्तिगत सेवा प्रदाता है तो सेवा कर का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब ग्राहक बिल का भुगतान करता है, हालांकि, कंपनियों के लिए सेवा कर चालान जारी होने के समय ही देय होता है।

मूल्य वर्धित कर (वैट) को वाणिज्यिक कर के रूप में भी जाना जाता है। कर लगाने की विधि आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में होती है, निर्माताओं, डीलरों और वितरकों से लेकर अंतिम उपयोगकर्ता तक। वैट पूरी तरह से राज्य सरकार का विवेक है और जब इसकी पहली बार घोषणा की गई थी तब सभी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया था। जब लोग दूसरे देश से आयातित उत्पाद खरीदते हैं, तो उस पर एक शुल्क लगाया जाता है और इसे सीमा शुल्क कहा जाता है।

परिवहन का कोई भी माध्यम जैसे भूमि, समुद्र या वायु सभी उत्पाद सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी हैं। उत्पाद शुल्क एक कर है जो भारत में निर्मित या उत्पादित सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह सीमा शुल्क से अलग है क्योंकि यह केवल भारत में उत्पादित चीजों

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

पर लागू होता है और इसे केंद्रीय मूल्य वर्धित कर या ब्म्छट।ज के रूप में भी जाना जाता है। यह टैक्स सरकार द्वारा सामान के निर्माता से वसूला जाता है। इसे उन संस्थाओं से भी एकत्र किया जा सकता है जो निर्मित सामान प्राप्त करते हैं और निर्माता से खुद तक सामान पहुंचाने के लिए लोगों को नियुक्त करते हैं।

मनोरंजन कर भारत में आमतौर पर देखा जाने वाला एक अन्य प्रकार का कर है। यह फीचर फिल्मों, टेलीविजन श्रृंखला, प्रदर्शनियों, मनोरंजन और मनोरंजक पार्लरों पर लगाया जाता है। यह कर दर्शकों की भागीदारी के आधार पर किसी व्यावसायिक इकाई के सकल संग्रह को ध्यान में रखते हुए एकत्र किया जाता है। संपत्ति कर के पूरक के रूप में स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और स्थानांतरण कर वसूला जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है, तो उसे स्टांप की लागत (स्टांप ड्यूटी), संपत्ति के लेनदेन को वैध बनाने के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा ली जाने वाली फीस, जिसे पंजीकरण शुल्क कहा जाता है, और स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाने वाला कर भी चुकाना पड़ता है। माल।

भारत में दुनिया की सबसे जटिल कर संरचना है, विशेषकर भारतीय अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। अलग–अलग राज्यों में कर लगाने, छूट, छूट और अन्य लाभ देने की व्यवस्था अलग–अलग है। मौजूदा कानून में विभिन्न प्रावधानों और उत्पादों और सेवाओं की श्रेणी में व्याख्या के कई मुद्दे हैं। भारत को एक सरल कर संरचना की आवश्यकता है जो कर तंत्र को यथासंभव सरल बता सके। मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की बुनियादी दो कमियां व्यापक प्रभाव और राज्यों के बीच कर संग्रह की गैर–एकरूपता हैं।

एक न्यायसंगत कर संरचना तैयार करने के लिए, देश को एक अच्छी तरह से परिभाषित कर प्रणाली की आवश्यकता है। भारत में सभी समूहों के लोगों के अनुपालन के लिए कानून यथासंभव सरल होने चाहिए। जीएसटी की शुरूआत का उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

में व्याप्त जटिलताओं को कम करना है। एक राष्ट्र के लिए एक समान कर प्रणाली जीएसटी का नारा है और यह प्रस्तावित तंत्र राष्ट्र में कर प्रपात के प्रभाव को दूर कर देगा। वस्तु एवं सेवा कर वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में मौजूद विभिन्न कर बाधाओं को प्रभावी ढंग से पार कर जाएगा। कर क्रेडिट समस्याओं, अधिक कर बोझ की समस्याओं, दोहरे कराधान आदि के उन्मूलन से देश के उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे अंततः सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी।

जीएसटी एक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण तंत्र सुनिश्चित करता है। जीएसटी के कार्यान्वयन से अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा कर भुगतान कम हो जाएगा जिससे वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। इस प्रक्रिया से खपत बढ़ेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। जब घरेलू बाजार में उत्पादन लागत गिरती है, तो भारतीय सामान और सेवाएं विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी जिससे निर्यात में सुधार होगा।

इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (आईजीएसटी) के अनुसार केंद्र सरकार अंतर–राज्य व्यापार पर जीएसटी लगाएगी और इस तरह के कर को संघ और राज्यों के बीच संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके से विभाजित किया जाएगा। वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर–राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार यह लागू सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी के अधीन होगा। निर्यात शून्य दर पर होगा। इस प्रक्रिया से अलग–अलग उत्पादों पर अलग–अलग राज्यों के लिए अलग–अलग दर की समस्या खत्म हो जाएगी। इस प्रक्रिया से डीलरों के बीच भ्रम की स्थिति कम होगी।

कैस्केडिंग प्रभाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सीएसटी और कई अन्य करों के क्रेडिट की अनुमति नहीं है। यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि आईजीएसटी की शुरूआत के साथ सीएसटी अवधारणा समाप्त हो रही है। कैस्केडिंग प्रभाव के उन्मूलन से निश्चित रूप से निर्माताओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और इससे उत्पादन और निर्यात के अवसरों में सुधार होगा।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निष्कर्ष

सभी करों के एकीकृत होने से कर का बोझ कम होने की उम्मीद है और संभव है कि बोझ को विनिर्माण और सेवाओं के बीच समान रूप से विभाजित किया जा सके। इस तंत्र के माध्यम से किसी विशेष उत्पाद या सेवा की अधिक कीमत से बचा जा सकता है।

जीएसटी के लिए कर संग्रहध्जमा और रिटर्न दाखिल करने के लिए एक समान प्रक्रिया और सामान्य तिथियां होंगी लेकिन प्रचलित प्रणाली में केवल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा में एकरूपता है, वैट अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग है।

जीएसटी प्राप्त इनपुट क्रेडिट, उपयोग और कर भुगतान पर सिस्टम आधारित सत्यापन और स्थिरता जांच में मदद करता है, हालांकि अब सत्यापन आंशिक रूप से सिस्टम द्वारा किया जाता है, पूर्ण सत्यापन केंद्रीय ६ राज्य अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

संदर्भ

- अंबर घोष एवं चंद्र घोषय ष्सार्वजनिक वित्तष्, पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड – 2014
- आर के लेखीय ष्सार्वजनिक वित्तष्, कल्याणी पब्लिशर्स – 2017
- कपिल सिंघानिया और विनोद के सिंघानियाय ष्अप्रत्यक्ष कर कानूनष्, टैक्समैन के प्रकाशक
- एच सी मेहरोत्रा एवं एस पी गोयलय ष्आयकर कानून और अभ्यासष्, साहित्य भवन
- प्रकाशन – 2016।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 4, April- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

- कपिल सिंघानिया और विनोद के सिंघानियाय "प्रत्यक्ष कररू कानून और कानून" प्रैक्टिसेजष, टैक्समैन्स पब्लिशर्स